अनुदान संख्या 64 – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 64–MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	538,39,00		538,41,00	330,55,55	–207,85,45
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					202,71,18
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			65,25,00	55,03,42	–10,21,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10,21,57

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1714.00	1383.85	1351.64	–32.21
पु.	R.	–330.15			
मुख्य शीर्ष '2501'' ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	150.00	20.00	20.00	. .
पु.	R.	–130.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.		O.	6000.00	140.56	. .	–140.56
पु.		R.	–5859.44			
मुख्य शीर्ष "2810'' अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	Major Head "2810" Non-Conventional Sources of Energy					
मू.		O.	43600.00	30294.10	30002.60	–291.50
पू.		S.	2.00			
पु.		R.	–13307.90			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.		O.	2306.00	1668.11	1668.11	. .
पु.		R.	–637.89			

(I) 7668.00 लाख रु. का प्रावधान (अगस्त, 2006 में एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) उनत्तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6750.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552'' -

(क) ''सौर - फोटोवोल्टीय - निदर्शन और प्रौद्योगिकी'' - 450.00 लाख रु.;

(ख) ''अन्य (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) - अन्य ऊर्जा स्रोत - लघु जल विद्युत विकास'' - 2000.00 लाख रु.; और

(I) Provision of Rs.7668.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head obtained in August,2006) remained wholly unutilised under twenty nine heads; of these Rs.6750.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "Solar – Photovoltaic – Demonstration and Technology" – Rs.450.00 lakhs;

(b) "Others (Non-Conventional Energy Sources) – Other Sources of Energy – Small Hydro Power Development" – Rs.2000.00 lakhs; and

(ग) ''अन्य (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) - अन्य अनुदान - ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम'' - 3000.00 लाख रु.।

(c) "Others (Non-Conventional Energy Sources) – Other Grants – Village Electrification Programme" – Rs.3000.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2810'' -

(B) Major Head "2810" –

(क) ''पवन - पवन ऊर्जा केंद्र - पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र को सहायता'' - 700.00 लाख रु. प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Wind – Wind Energy Centre – Assistance to Centre for Wind Energy Technology" - Rs.700.00 lakhs – due to non-receipt of proposals.

(ख) ''अन्य - अन्य व्यय - राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान'' - 600.00 लाख रु. संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(b) "Others - Other Expenditure– National Institute of Renewable Energy" – Rs.600.00 lakhs- due to non-approval of revised cost estimates.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "3451" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''सचिवालय - अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्राालय'' - 253.31 लाख रु. की बचत (1464.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्राा रियायत, चिकित्सा दावों, घरेलू यात्राा और कार्यालय व्ययों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(A) "Secretariat- Ministry of Non-Conventional Energy Sources" - saving of Rs.253.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1464.00 lakhs) was due to less expenditure on leave travel concession, medical claims, domestic travel and office expenses.

(खा) ''अन्य कार्यालय - क्षेत्रीय कार्यालय'' - 109.05 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद किए जाने और वैज्ञानिकों का स्थानांतरण मुख्यालय में किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Offices – Regional Offices" – saving of Rs.109.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to winding up of some regional offices and transfer of scientists to Head Quarters.

(III) मुख्य शीर्ष ''2501'' - ''एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम - प्रशिक्षण - राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र'' के अंतर्गत 130.00 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और पूर्व लेखों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2501" - "Integrated Rural Energy Planning Programme – Training – National and Regional Training Centres" - saving of Rs.130.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and non-settlement of earlier accounts.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2810'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जैव ऊर्जा'' -

(क) ''बायोमास'' -

(i) ''अकेले अनुप्रयोग के लिए बायोमास गैसीफायर'' - 284.22 लाख रु. की बचत (630.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को चालू करने में विलंब होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''बायोमास सहउत्पादन एवं दहन'' - 2070.76 लाख रु. की बचत (4300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बायलर और टर्बाइन विनिर्माताओं से मुख्य उपस्करों की आपूर्ति और विद्युत निष्क्रमण व्यवस्था के लिए राज्य विद्युत बोर्ड से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने में विलंब होने की वजह से परियोजनाओं को चालू करने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''सौर'' -

(क) ''सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम'' -

(i) ''सौर ऊर्जा केंद्र'' - 618.47 लाख रु. की बचत (675.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से उपस्करों के आयात में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''निदर्शन, प्रौद्योगिकी उपयोग और बाजार विकास''- 3134.84 लाख रु. की बचत (4435.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य नोडीय अभिकरणों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने और स्कीमों को जारी रखे जाने की घोषणा देर से किए जाने की वजह से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के बीच होने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2810" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Bio-Energy" –

(a) "Biomass" –

(i) "Biomass Gasifier for Stand Alone Application" – saving of Rs.284.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.630.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to delay in commissioning of few projects.

(ii) "Biomass Co-generation and Combustion" – saving of Rs.2070.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4300.00 lakhs) was due to delay in commissioning of projects owing to delay in the supply of major equipments from the manufacturers of boiler and turbine and technical clearance from State Electricity Board for power evacuation arrangements.

(B) "Solar" -

(a) "Solar Thermal Energy Programme" –

(i) "Solar Energy Centre" -saving of Rs.618.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.675.00 lakhs) was due to delay in import of equipments owing to procedural delay.

(ii) "Demonstration, Technology Utilisation and Market Development" -saving of Rs.3134.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4435.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from various State Nodal Agencies and delay in signing of Memorandum of Understanding between banks/financial institutions with Indian Renewable Energy Development Agency owing to late announcement of continuation of schemes.

(ग) ''अन्य'' -

(क) ''शहरी और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा'' -

(i) ''शहरी/नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा'' -1082.76 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधन की तुलना में) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मई, 2005 में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं के लिए सरकारी आर्थिक सहायताओं पर स्थगन न हटने के कारण हुई।

(ii) ''औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा'' - 466.59 लाख रु. की बचत (1250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाएं चालू किए जाने में विलंब होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''ऊर्जा के अन्य स्रोत'' -

(i) ''ऊर्जा के रासायनिक स्रोत'' - 776.45 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) ''हाइड्रोजन ऊर्जा'' - 879.94 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अनुसंधान, विकास और निदर्शन परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(iii) ''भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन'' -478.15 लाख रु. की बचत (490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लागत घटक की वजह से बैटरी चालित वाहनों के संबंध में पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iv) ''भूतल परिवहन के लिए जैव-ईंधन'' - 624.62 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य का आबंटन नियमावली के अधीन जुलाई, 2006 में जैव-ईंधनों संबंधी कार्रवाई

(C) "Others" -

(a) "Energy from Urban and Agricultural Waste" -

(i) "Energy from Urban/Municipal Waste" - saving of Rs.1082.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to non-vacation of the stay on Government subsidies for projects on energy recovery from municipal solid wastes by Hon'ble Supreme Court in May, 2005.

(ii) "Energy from Industrial Waste" - saving of Rs.466.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1250.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to delay in commissioning of few projects.

(b) "Other Sources of Energy" –

(i) "Chemical Sources of Energy " - saving of Rs.776.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs); and

(ii) "Hydrogen Energy" - saving of Rs.879.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of research, development and demonstration projects.

(iii) "Alternative Fuel for Surface Transportation" – saving of Rs.478.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.490.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals for battery operated vehicles owing to cost factor.

(iv) "Bio-Fuels for Surface Transportation" - saving of Rs.624.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to reduction of provision at

करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा आबंटित किए गए विशिष्ट दायित्वों की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य'' - 155.12 लाख रु. की बचत (185.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं के निदर्शन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''सूचना और प्रचार कार्यक्रम'' - 567.04 लाख रु. की बचत (1985.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त प्रस्तावों और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''विशेष क्षेत्रा परियोजना'' - 824.83 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि उपलब्ध न होने की वजह से मध्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पार्क की स्थापना न किए जाने के कारण हुई।

(iii) ''प्रशिक्षण'' - 144.31 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नवीकरणीय ऊर्जा छात्रावृत्ति स्कीम जारी न किए जाने और पिछले वर्ष के लेखों का निपटान न किए जाने और उपयुक्त प्रशिक्षण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iv) ''ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम'' -6135.88 लाख रु. की बचत (12000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन न किए जाने/देर से किए जाने की वजह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम - प्रशिक्षण - राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र'' के अंतर्गत 631.89 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले लेखों का निपटान न किए जाने की वजह से कुछ राज्यों को नए प्रस्ताव स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

revised estimates stage owing to specific responsibilities allocated by Cabinet Secretariat to deal with Bio-fuels in July, 2006 under the allocation of Business Rules.

(c) "International Co-operation- Others" - saving of Rs.155.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.185.00 lakhs) was due to non-receipt of proposal for demonstration projects.

(d) "Other Expenditure" -

(i) "Information and Publicity Programme" - saving of Rs.567.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1985.00 lakhs) was due to non-receipt of suitable proposals and utilisation certificates.

(ii) "Special Area Project" - saving of Rs.824.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to non-setting up of an International Energy Park in Central India owing to non-availability of land.

(iii) "Training" - saving of Rs.144.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-release of Renewable Energy Scholarship Scheme and non-settlement of accounts for the previous year and non-receipt of appropriate training proposals.

(iv) "Village Electrification Programme" – saving of Rs.6135.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to non-approval/late approval of projects by the Ministry.

(V) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Integrated Rural Energy Planing Programme-Training-National and Regional Training Centre" - saving of Rs.631.89 lakhs(against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new proposals to certain states owing to non-settlement of earlier account.

(VI) छह शीर्षों के अतर्गत 477.07 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under six heads savings of Rs.477.07 lakhs occurred, each exceeding of Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 25 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6898.87 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2810'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2006 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.6898.87 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in August, 2006 under Major Head "2810" - under the following heads:-

(का) ''जैव ऊर्जा - बायोगैस विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम - बायोगैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 1159.82 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1158.80 लाख रु. था।

(A) "Bio-Energy-National Programme for Biogas Development-National Project on Biogas Development" - Rs.1159.82 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1158.80 lakhs.

(खा) ''सौर - फोटोवोल्टीय'' -

(क) ''निदर्शन और प्रौद्योगिकी'' - 2724.63 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2724.62 लाख रु. था।

(ख) ''एसपीवी पंप कार्यक्रम'' - 53.40 लाख रु.।

(B) "Solar-Photovoltaic" -

(a) "Demonstration and Technology" - Rs.2724.63 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2724.62 lakhs.

(b) "SPV Pump Programme" – Rs.53.40 lakhs.

(गा) ''अन्य - ऊर्जा के अन्य स्रोत - लघु जल विद्युत विकास'' - 2961.02 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2939.20 लाख रु. था।

(C) "Others- Other Sources of Energy – Small Hydro Power Development" – Rs.2961.02 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2939.20 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4810'' अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4810" Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	5025.00	4003.43	4003.42	–0.01
पु.	R.	–1021.57			

(I) ''सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश-भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण'' के अंतर्गत 1000.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण में इक्विटी कम किए जाने के कारण भारत सरकार के निर्णय की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Investment in Public Sector and Other Undertakings – Indian Renewable Energy Development Agency" - saving of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to decision of Government of India to reduce equity in Indian Renewable Energy Development Agency.